

ग्रुप-डी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव : चयन पूरी तरह सीईटी अंकों पर, सामाजिक-आर्थिक वेटेज समाप्त

कैबिनेट बैठक में 2018 अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 2 फरवरी (ट्रिब्यून)

हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए चयन प्रणाली को पूरी तरह सीईटी (कॉमन एंलजिबिलिटी टेस्ट) आधारित कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

अब ग्रुप-डी पदों पर भर्ती 100 प्रतिशत सीईटी अंकों के आधार पर होगी। इससे पहले सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। इन्हीं न्यायिक फैसलों के अनुरूप सरकार ने अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत अब किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वेटेज, अनुभव अंक या सामाजिक-आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा। यह नियम उन सभी ग्रुप-डी पदों पर लागू होगा, जिनकी न्यूनतम

इधर, ग्रुप-सी स्टेनो पदों में की बढ़ोतरी, ऑनलाइन आवेदन 6 से

चंडीगढ़ (ट्रिब्यून) : हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने ग्रुप-बी और ग्रुप-सी भर्ती में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। आयोग ने न केवल पदों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि ऑनलाइन आवेदन की नई तिथि भी घोषित की है। संशोधित अधिसूचना के



अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी से शुरू होंगे। पहले आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होने वाली थी। आयोग ने यह बदलाव तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से किया है। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर मिलने की संभावना है। स्टेनो कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इस संशोधन का सबसे बड़ा लाभ होगा। ग्रुप-2 (स्टेनो टाइपिस्ट) के पद 486 से बढ़ाकर 586 किए गए हैं। ग्रुप-3 (स्टेनो टाइपिस्ट) के

शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या उससे अधिक है। नई व्यवस्था में सीईटी परीक्षा का वेटेज भी स्पष्ट किया गया है। कुल अंकों में 75 प्रतिशत सामान्य विषयों और 25 प्रतिशत हरियाणा से जुड़े विषयों के लिए

■ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 87 नए पद, अभ्यर्थियों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिलेगा

पद 696 से बढ़ाकर 702 किए गए हैं। सबसे अधिक बढ़ोतरी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों में की गई है, जो 173 से बढ़ाकर 260 कर दिए गए हैं। इसमें कुल 87 नए पद शामिल हैं। आवेदन तिथि आगे बढ़ने से उम्मीदवारों को दस्तावेज तैयार करने और संशोधित पदों तथा शर्तों को समझने का पर्याप्त समय मिलेगा। भर्ती से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव विशेष रूप से स्टेनो पदों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद है। एचएसएससी ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले संशोधित विज्ञापन और दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

निर्धारित रहेगा। परीक्षा का स्तर पहले की तरह मैट्रिक स्तर का ही होगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विवाद-मुक्त होगी।

कैबिनेट में फैसला • हरियाणा में 20 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र

ग्रुप-डी भर्ती में सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अंक नहीं मिलेंगे, सीईटी का 100% वेटेज

भास्कर न्यूज़ | चंडीगढ़

भास्कर एक्सप्लेनर

ग्रुप-डी के सिलेबस को दो घटकों में बांटा

हरियाणा में ग्रुप-डी की भर्ती में सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक हटा दिए हैं। इससे पहले ग्रुप-सी भर्ती में भी नहीं दिए गए थे। यह फैसला सोमवार को सीएम नाथब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

10वीं पास के आधार पर ग्रुप-डी पदों पर चयन पूरी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पर आधारित होगा, जिसमें सीईटी अंकों को 100 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। वहीं, विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। इसके अलावा अब आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम खोले जा सकेंगे। वहीं, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियमों में स्क्रूटनी फीस, लाइसेंस फीस, विकास शुल्क, अवसंरचना संवर्धन शुल्क और आईएसी-टीओडी में संशोधन किया गया है। राजस्व में 22 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसका आर्थिक बोझ डेवलपर्स के माध्यम से आम जनता पर पड़ने की आशंका है।

Q सिलेबस के कितने घटक बनाए गए हैं और उनका वेटेज कितना होगा?

A ग्रुप-डी भर्ती के लिए सिलेबस के दो घटक बनाए गए हैं। पहला घटक हरियाणा से संबंधित विषयों का है, जिसका वेटेज 25 प्रतिशत है। दूसरा घटक सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषयों का है, जिसका वेटेज 75 प्रतिशत होगा।

Q हरियाणा से संबंधित घटक में किस प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे?

A हरियाणा से जुड़े घटक में इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित

मैट्रिक स्तर के प्रश्न शामिल होंगे।

Q 2024 में ग्रुप-डी के सीईटी पास करने वाले युवाओं के अंक कितने समय तक मान्य रहेंगे?

A वर्ष 2024 में ग्रुप-डी भर्ती के लिए सीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के अंक 11 जनवरी 2027 तक वैध रहेंगे।

Q भविष्य में सीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के अंकों की मेरिट सूची कैसे तैयार होगी?

A भविष्य में सीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के अंकों को पिछले सीईटी पास उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त 95 अधिकतम अंकों के आधार पर प्रतिशत में बदला जाएगा। इसके बाद संयुक्त मेरिट सूची बनेगी।

अब आवासीय क्षेत्रों में खोल सकेंगे नर्सिंग होम

लाइसेंसि रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोले जा सकेंगे। इस पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए कन्वर्जन चार्ज देना होगा। मंजूरी उन्हीं डॉक्टरों को मिलेगी, जिनके नाम प्लॉट है और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर 50 एकड़ में 1,000 वर्ग मीटर के दो नर्सिंग होम खोले जा सकते हैं। हाइपर पोर्टेशियल जोन में रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों के लिए एरिया

का नियम 100 एकड़ से 25 एकड़ कर दिया है। यहां न्यूनतम प्लॉट 350 वर्ग गज का होगा। मीडियम और लो पोर्टेशियल जोन के लिए 250 वर्ग गज होगा। एक सेक्टर में अधिकतम 4 साइट्स होंगी। हाइपर पोर्टेशियल जोन में 10 हजार रुपए, हाई जोन में 8 हजार, मीडियम में 6 हजार रुपए और लो जोन में 4 हजार रुपए प्रति वर्ग गज शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा कोई फीस नहीं लगेगी।

उद्योगों को सीएलयू और एनओसी में छूट मिलेगी

मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को सीएलयू व एनओसी में छूट मिलेगी। 10 एकड़ पर औद्योगिक इकाई वाले कम से कम 50 उद्यमी सरकारी पोर्टल पर नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इनका 1 जनवरी 2021 से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होना चाहिए। शेष | पेज 4 पर